

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ 2()अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस / 232798-824 जयपुर, दिनांक

23/12/2022

उप निदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग

समस्त (जयपुर/बाड़मेर/बूंदी/हनुमानगढ़/अजमेर/कोटा/टोंक को छोड़कर)

विषय:-सामूहिक बचत एवं बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या
उपलब्ध करवाने बाबत।

संदर्भ:-विभागीय पत्र क्रमांक 173444-780 दिनांक 19.09.2022 एवं क्रमांक 194146-408
दिनांक 12.10.2022 एवं क्रमांक 209210-38 दिनांक 07.11.2022।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों हेतु सामूहिक बचत एवं बीमा योजना अन्तर्गत लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या निर्धारित प्रारूप में चाही गई थी जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप 3 दिवस में अपने अधीनस्थ कार्यालयों से निम्न प्रारूप में सूचना संकलित कर अधोहस्ताक्षकर्ता को उपलब्ध करावें। अन्यथा कि स्थिति में आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

| क. संख्या | परियोजना का नाम | लाभान्वित मानदेयकर्मियों की संख्या | | | |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| | | आंगनबाड़ी कार्यकर्ता | मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता | सहायिका | सहयोगिनी |
| | | | | | |

21.12.22

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ 2()अ.क.को./लेखा/आईसीडीएस/232825-233 22 जयपुर, दिनांक

23/12/2022

प्रतिलिपि निम्न के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त (जयपुर/बाड़मेर/बूंदी/हनुमानगढ़

अजमेर/कोटा/टोंक को छोड़कर)

को भेजकर लेख है कि आप स्वयं से संबंधित सूचना अविलम्ब उपनिदेशक कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।



वित्तीय सलाहकार

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।